

Filling no. RCS-A/440/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 108 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/440/2017

CNR no. MP30010040262017

सिविल वाद क्रमांक 108 ए/2017

संस्थित दिनांक :-24/07/2017

1. राजेन्द्र सिंह, उम्र-65 वर्ष,
2. गजेन्द्र सिंह, उम्र-63 वर्ष,
3. गोविन्द सिंह, उम्र-58 वर्ष,
4. मुन्ना सिंह, उम्र-57 वर्ष,
पुत्रगण छटकन सिंह भदौरिया,
5. जन्डेल सिंह पुत्र वटुरी सिंह उम्र-58 वर्ष,
सभी निवासी-ग्राम खड़ेरी का पुरा अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादीगण/आवेदकगण

//बनाम//

1. मान सिंह पुत्र द्वारिका सिंह भदौरिया,
2. कल्लू सिंह पुत्र मान सिंह भदौरिया,
3. लटूरी सिंह पुत्र मान सिंह भदौरिया,
सभी निवासी-ग्राम खड़ेरी का पुरा अटेर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
4. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....असल प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री सुभाष कटारे।
प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 3 द्वारा श्री नरेश सिंह बघेल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 4 पूर्व से एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक 10.01.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. इस मामले में ग्राम खड़ेरी का पुरा, तहसील अटेर, जिला—भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 612/1 क्षेत्रफल 0.282 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 613/1 क्षेत्रफल 1.944 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् “विवादित भूमियाँ” से निर्दिष्ट) पर स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियाँ विधिवत् बंटवारा व विभाजन में वादीगण को प्राप्त हुयी हैं, वादीगण का ही स्वत्व व कब्जा है और एस0डी0एम0 अटेर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा के आधार पर विधिवत् बंटवारा किया गया है। विवादित भूमियों के संबंध में उभयपक्ष की सहमति से तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/13-14/अ-3 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 से भी विधिवत् बंटवारा किया जा चुका है और विवादित भूमियाँ बंटवारे में वादीगण को प्राप्त हुयी हैं। विधिवत् बंटवारा हो जाने के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 विवादित भूमियों पर वादीगण के कब्जे में जबरन हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे हैं। दिनांक 30.06.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादीगण के घर पर आकर धमकी दी कि वे विवादित भूमियों पर डाली गयी मेड़ तोड़ देंगे और वादीगण को खेती नहीं करने देंगे। वादीगण ने पंचायत भी जोड़ी, किन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है और अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की दशा में वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वे वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करें और न ही करावें।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब संक्षेप में यह है कि विधिवत् बंटवारा हो जाने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं और बंटवारे के अनुसार ही मौके पर खेती कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोई धमकी नहीं दी, झूठे आधारों पर वाद संस्थित किया गया है और वास्तव में वादी ने ही बंटवारे में प्रतिवादीगण को हिस्से में प्राप्त भूमि पर मेड़ डाल दी है। वादीगण ने कोई निष्पक्ष सीमांकन भी नहीं कराया है और प्रतिवादीगण ने कोई मेड़ नहीं तोड़ी है। सम्पूर्ण वाद झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह हैं कि :-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधारविचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. वादपत्र एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत किये जा चुके लिखित कथन में इस अभिवचन पर सारतः कोई विवाद नहीं है कि भूमि सर्वे क्रमांक 612, 613 का राजस्व न्यायालय द्वारा विधिवत् बंटवारा हो चुका है, बंटवारे के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं और तदनुसार ही मौके पर खेती कर रहे हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व खसरा वर्ष 2015-16 में भी भूमि सर्वे क्रमांक 612/1 व 613/1 पर वादीगण का ही नाम दर्ज है और उक्त राजस्व खसरे में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 612/1 व 612/2 पर प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व या कब्जा अभिलिखित नहीं है।

7. उभयपक्षों के अभिवचन से प्रकट है कि इस मामले में मुख्य विवाद सीमा के निर्धारण का है, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 612/1 व 613/1 के वादीगण भूमिस्वामी हैं और प्रतिवादीगण ने भी अपने लिखित कथन में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 612/1 व 613/1 पर वादीगण के स्वत्व व कब्जे के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट खण्डन या आपत्ति नहीं की है।

8. वादीगण प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमियों के भूमिस्वामी प्रकट हो रहे हैं, राजस्व अभिलेखों में वादीगण का ही नाम भूमिस्वामी व कब्जेधारी के रूप में दर्ज है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 612/1 व 613/1 पर वादीगण के कब्जे हस्तक्षेप किया गया तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण की तुलना में वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी और सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है।

9. अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करें और न ही करावें। इस आदेश का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0) (म0प्र0)